"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2009—फाल्गुन 29, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.—श्री आर. पी. जैन, भा. प्र. से. (1990), सचिव, संस्कृति, पर्यटन विभाग को वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2009

क्रमांक ई-1-2/2009/एक/2.—श्रीमती निधि छिब्बर, भा. प्र. से. (1994), आयुक्त, लोक शिक्षण को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा. प्र. से. (1995), संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें संचालक, नवा अंजोर परियोजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.—श्री आर. पी. जैन, भा. प्र. से. (1990), सचिव, संस्कृति, पर्यटन विभाग एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री जैन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जवाहर श्रीवास्तव, भा. प्र. से. (1988), केवल सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.—श्री विजयेन्द्र, भा. प्र. से. (एएम:1991), सचिव, वित्त विभाग एवं आयुक्त सह संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा नियंत्रक, नापतौल एवं पदेन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री विजयेन्द्र, भा. प्र. से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दिनेश श्रीवास्तव, भा. प्र. से. (1992), प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम एवं पदेन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग केवल पदेन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

शुद्धि-पत्र

क्रमांक ई-1-02/2009/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27-2-2009 के द्वारा सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से. (सीजी: 2001), को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक परियोजना निर्देशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था. कृपया उक्त आदेश में "परियोजना निर्देशक" के स्थान पर "मिशन संचालक" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

क्रमांक ई-7/1/2003/1/2.—श्रीमती निधि छिब्बर, भा. प्र. से., आयुक्त, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 16-03-2009 से 20-03-2009 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14, 15, 21 एवं 22 मार्च, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती छिब्बर, आगामी आदेश तक आयुक्त, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती छिब्बर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती छिब्बर, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. श्रीमती छिब्बर के उक्त अवकाश अवधि में श्री एल. एस. मरावी, अपर संचालक, लोक शिक्षण छ. ग., रायपुर अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ आयुक्त, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर का चालू कार्य भी सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

क्रमांक ई-7/1/2007/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15-01-2009 के द्वारा श्री एस. प्रकाश, भा. प्र. से., तत्का. अपर कलेक्टर, द. ब. दन्तेवाड़ा को दिनांक 12-01-2009 से 27-01-2009 तक (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 12-01-2009 से 20-01-2009 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10 एवं 11 जनवरी, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

क्रमांक ई-7/9/2008/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23-08-2008 के द्वारा सुश्री शम्मी आबिदी, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, रायपुर को दिनांक 28-07-2008 से 14-08-2008 तक (18 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में सुश्री आबिदी को दिनांक 15-08-2008 से 22-08-2008 तक (08 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

क्रमांक ई-7/10/2008/1/2.—श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, जिला उ. ब. कांकेर को दिनांक 16-02-2009 से 28-02-2009 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 01-03-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अब्दुलहक, आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, उ. ब. कांकेर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अब्दुलहक को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अब्दुलहक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

क्रमांक ई-7/52/2004/1/2.—श्री सोनमणि वोरा, भा. प्र. से., तत्का. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 24-11-2008 से 02-12-2008 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उक्त अवकाश अवधि में उन्हें स्वयं के व्यय पर ब्रुशेल्स, बेल्जियम की निजी विदेश यात्रा पर जाने की कार्योत्तर अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री वोरा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वोरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2009

क्रमांक-बी-1-1/2009/एक/4.—डॉ. संजय कुमार अलंग (रा. प्र. से., आर. आर.-91, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी), अपर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की सेवायें सहकारिता विभाग से वापस लेते हुए अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. श्री सी. एस. डेहरे (रा. प्र. से., आर. आर.-91, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी), स्थानापन्न संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक अपर संचालक, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

3. उपरोक्त पदस्थापना/स्थानांतरण के संबंध में समन्वय में अनुमोदन प्राप्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2009

क्रमांक 242/परि./09.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग तृतीय श्रेणी कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम, 2008 अनुसूची-एक (नियम 4 तथा 5) के वेतनमान में ब्रम्हस्वरूप समिति के अनुशंसानुसार निम्नानुसार संशोधन करता है :—

संशोधन

(परिशिष्ट-1)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	संशोधन वेतनमान दिनांक 01-04-2006 से स्वीकृत
(1)	(2)	(3)
1.	परिवहन निरीक्षक	5500-9000

(1)	(2)	(3)
2.	परिवहन उपनिरीक्षक	4500-7000
3.	सहायक परिवहन उपनिरीक्षक	4000-6000
4.	परिवहन प्रधान आरक्षक	3500-5200
5.	परिवहन आरक्षक	3050-4590

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2009

क्रमांक 242/परि./09.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम, 1974 अनुसूची-एक (नियम 6) के वेतनमान में ब्रम्हस्वरूप समिति के अनुशंसानुसार निम्नानुसार संशोधन करता है :—

संशोधन

(परिशिष्ट-1)

स. क्र. (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	संशोधन वेतनमान दिनांक 01-04-2006 से स्वीकृत (3)	रिमार्क (4)
1.	सहायक कार्यालय अधीक्षक	5000-8000	
2.	अन्वेषक	4500-7000	

(परिशिष्ट-2)

स. क्र. (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	भविष्य में की जाने वाली पदोन्नति/ नियुक्ति के लिए संशोधन वेतनमान (3)	रिमार्क (4)
1.	जूनियर ऑडिटर	4000-6000	
2.	ड्राफ्टमेन	4000-6000	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक एफ-13-13/गृह/दो/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर सेना, तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा की भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ नगर सेना, तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2008 है.

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, महानिदेशक नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा, छत्तीसगढ़ ;

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची-तीन तथा चार में विनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति/चयन समिति;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अंतर्गत भर्ती के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा ;

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद-341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद-342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

(झ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगर सेना, तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति :—** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन :—**सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(एक) इन नियमों को लागू करते समय अनुसूची-एक में उल्लिखित पदों को मौलिक रूप से या स्थानापन्न की हैसियत से धारण करने वाले व्यक्ति;

(दो) इन नियमों के लागू होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये व्यक्ति ;

(तीन) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये व्यक्ति.

5. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि** —सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, इससे संलग्न अनुसूची-एक में दिये गये उपबंधों के अनुसार होगी.

परन्तु शासन सेवा में होने वाले पदों की संख्या में, समय-समय पर स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका**—

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती द्वारा

(ख) अनुसूची चार के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद मौलिक रूप से धारण करते हों जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची-एक में उल्लिखित पदों की संख्या के साथ अनुसूची-दो में बताये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अधीन भर्ती की किसी भी विशेष अवधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा की किसी भी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यक होने पर नियुक्ति प्राधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति तथा सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से सेवा में भर्ती संबंधी उन तरीकों को छोड़, जिनका उक्त उपनियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो शासन द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेश के द्वारा निर्धारित किए जाएं.

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन के लिए सरकार द्वारा मापदंड निर्धारित किए जा सकेंगे. तथापि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस हेतु एक चयन समिति गठित किया जाना आवश्यक होगा.

(6) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति**— इन नियमों के लागू होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम में उल्लिखित भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के बाद ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती की पात्रता संबंधी शर्तें :**— परीक्षा में भाग लेने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिये, अर्थात् :—

(एक) **आयु :**—

(क) परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को उसने अपनी आयु के अनुसूची-तीन के कालम (3) में उल्लिखित वर्ष पूरे कर लिये हों तथा अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में उल्लिखित वर्ष पूरे न किये हों.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो आयु की अधिकतम सीमा में अधिक से अधिक 5 (पांच) वर्ष तक की छूट दी जायेगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, निम्नलिखित सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट दी जायेगी :—

(1) अभ्यर्थी, जो शासन का स्थायी कर्मचारी हो उसकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए,

(2) अस्थायी पद धारण करने वाले तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये. यही रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित सेवा के कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी स्वीकार्य होगी.

(3) अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्षों तक की अवधि भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी बशर्तें इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "छटनी किए गए शासकीय कर्मचारी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जो शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु पंजीयन कराने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो.

(घ) जो अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य है, ऐसे व्यक्ति है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो, तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक सेवा करता रहा हो, तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु, अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गयी हो अथवा अतिशेष घोषित किया गया है :—

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें मस्टरिंग आउट कन्सेशन के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण होने जाने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो ;

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी.

(चार) संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त किये गये अधिकारी, (सैनिक तथा असैनिक), जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है,

(पांच) अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी ;

(छः) अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किये गये भूतपूर्व सैनिक,

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक नहीं बन सकेंगे.

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिसे गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जायेगी.

(च) आदिमजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पार्टनर को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 5 (पांच) वर्ष तक की छूट दी जायेगी.

(छ) शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी.

(ज) छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा में 38 वर्ष तक की छूट दी जायेगी.

(झ) स्वयंसेवी, नगर सैनिकों एवं अनायुक्त अधिकारियों को उनके द्वारा पूर्ण की गई नगर सेवा की अवधि के पूर्ण वर्षों के बराबर सामान्य अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी. उपर्युक्तानुसार छूट की सीमा 8 वर्ष होगी परंतु किसी भी दशा उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

टीप— (1) उपनियम (1) (ग) (1) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् परीक्षा आदि में चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्याग-पत्र दे दें तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि यदि उनकी सेवा से छटनी की गई है तो वे नियुक्ति के पात्र रहेंगे.

(2) किसी भी अन्य मामले वे आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी. विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु, नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये.

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं :**— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिये जो कि इससे संलग्न अनुसूची-तीन में दर्शायी गई है.

(तीन) **फीस :**— अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता :**— अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास समिति द्वारा उनकी परीक्षा हेतु निरर्हता के रूप में मानी जायेगी.

10. **नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय :**— अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा. परीक्षा में प्रवेश के संबंध में किसी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्य बात के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी जिसे समिति ने प्रवेश प्रमाण-पत्र न दिया हो.

11. **चयन/प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :**—

(1) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती :— नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति गठित की जायेगी इसमें तीन सदस्य होंगे.

(एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जावेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे.

(दो) परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर, जारी किये गये आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा ली जायेगी.

(2) चयन के माध्यम से सीधी भर्ती :—

(एक) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करें.

(दो) चयन समिति द्वारा सेवा में अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा, और

(तीन) चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर गठित की जायेगी.

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हो, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थयों को जिन्हें समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये योग्य घोषित किया गया हो, यथास्थिति, उप नियम (3) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे.

(7) ऐसे मामलों में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया मया है और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

(8) विकलांगों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण रहेगा.

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची :—**

(1) बोर्ड/चयन समिति उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा की समिति अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये हैं, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों के नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जावेगा जिसमें की उनके नाम सूची में आये हों.

(3) सूची में किंसी अभ्यर्थी का नाम शामिल किये जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी की वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. **परिवीक्षा :—** उपयुक्त अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु चयन करने के लिये अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्यों को मिलाकर एक समिति गठित की जावेगी.

परंतु इस उप नियम के अधीन समिति के गठन करने के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंधों का अनुसरण किया जायेगा.

14. **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये पात्रता की शर्तें :—**

(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों की पदोन्नति के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों पर जिनसे पदोन्नति की जानी है या उसके समतुल्य घोषित अन्य पद या पदों पर उतने वर्षों की सेवा चाहे स्थानापन्न रूप या मूल रूप में जैसा कि सरकार द्वारा अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों.

परंतु यह कि आपाती आयोग तथा लघु सेवा आयोग के निर्मुक्त अधिकारियों की सेवा की गणना सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस तारीख से की जायेगी, जिस तारीख को उनको सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. 2266/1967/1 (3)/67, दिनांक 21-10-1967 के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जायेगा.

परंतु यह और कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमान्यता देकर चयन श्रेणी/पदोन्नति करने के लिए केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जावेगा कि उसने विहित सेवा की कालावधि पूर्ण कर ली है.

(2) चयन का क्षेत्र, योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर भरे जाने वाले पदों के मामले में चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या के सामान्यतः सात गुना तक और वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले पदों के मामले में चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या के पांच गुने तक सीमित होगा.

परंतु यदि इस प्रकार अवधारित क्षेत्र में पदोन्नति के लिए उपयुक्त कर्मचारी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हो तो समिति क्षेत्र को इस सीमा तक जहां तक कि वह आवश्यक समझे लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए बढ़ा सकेगी.

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जाना :—**

(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा/स्थानांतरण में पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए उपयुक्त समझा गया हो. यह सूची, इसके तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक रक्षित सूची भी उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये तैयार की जायेगी.

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला चयन वरिष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा.

(3) प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची-चार के कॉलम दो में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे.

परंतु किसी ऐसे कनिष्ठ कर्मचारी को जो समिति की राय में विशेष रूप से योग्य तथा उपयुक्त हों सूची में उससे वरिष्ठ कर्मचारी की तुलना में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण :— ऐसे व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुंनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जावेगा.

(5) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण के दौरान यह प्रस्तावित किया जाये कि यथास्थिति निचली सिविल सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाये तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारण को लेखबद्ध करेगी.

16. **चयन सूची पर महानिदेशक का अनुमोदन :—** नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची समिति द्वारा निम्नलिखित सहित महानिदेशक को अग्रेषित की जायेगी :—

(1) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख.

(2) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में सेवा के समस्त सदस्यों के अभिलेख जो कि सूची में सिफारिश द्वारा अतिष्ठित किये जाने के लिए प्रस्तावित हो.

(3) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए समिति द्वारा यथा अभिलिखित कारण.

17. **चयन सूची :—**

(1) महानिदेशक समिति के द्वारा तैयार की गई सूची के साथ समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों पर विचार करेगा तथा यदि कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे जो सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि निदेशक समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता है, तो महानिदेशक प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना समिति को देगा तथा समिति के विचार में ली गई टिप्पणियां, यदि कोई हो के पश्चात् सूची को ऐसे परिवर्तनों सहित, यदि कोई हो जो इसकी राय में जैसा कि न्यायसंगत तथा समीचीन हो, अंतिम रूप से अनुमोदित कर देगा.

(3) महानिदेशक द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में, उल्लिखित पदों से उसी अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शाये गये पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक नियम 15 के उप नियम (4) के अनुसार पुनर्विलोकन पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता, किन्तु उसकी विधि मान्यता ऐसी तैयार किये जाने की तारीख से 18 माह की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जायेगी.

परंतु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्त्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, महानिदेशक के अनुरोध पर समिति द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा, और यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा.

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :—**

(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जायेगी, जिस क्रम से ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में हो.

(2) साधारणतः उस व्यक्ति का जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम, सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाये जो निदेशक की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो.

19. **परिवीक्षा :—** सेवा में भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति 2 (दो) वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

20. **निर्वचन :—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चिय अंतिम होगा.

21. **शिथिलीकरण :—** इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, कि वह राज्यपाल की किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से जो उसे उचित तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है.

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

22. **व्यावृत्ति :—** इन नियमों में की गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गये आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

23. **निरसन तथा व्यावृत्ति :—** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार;
संजय पिल्ले, सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स. क्र. (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)	टिप्पणियां (6)
1.	अधीक्षक	01	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय सेवा)	5500-175-9000	
2.	सहायक अधीक्षक	01	—तदैव—	5000-150-8000	
3.	सीनियर आडिटर	01	—तदैव—	5000-150-8000	
4.	मुख्य लिपिक	07	—तदैव—	4500-125-7000	
5.	लेखापाल	16	—तदैव—	4000-100-6000	
6.	सहायक ग्रेड-2	29	—तदैव—	4000-100-6000	
7.	सहायक ग्रेड-3	45	—तदैव—	3050-75-3950-80-4590	
8.	शीघ्र लेखक (ग्रेड-एक)	01	—तदैव—	6500-200-10500	
9.	शीघ्र लेखक (ग्रेड-दो)	01	—तदैव—	5500-175-9000	
10.	शीघ्र लेखक (ग्रेड-तीन)	03	—तदैव—	4500-125-7000	
11.	डाटा एंट्री आपरेटर	06	—तदैव—	3500-80-4700-100-5200	

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम-6 (क) देखिए]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम-6 (ख) देखिए]	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के अस्थाई स्थानांतरण द्वारा [नियम-6 (ग) देखिए]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गृह (पुलिस) विभाग	छ. ग. नगर सेना, तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा					
	1. अधीक्षक	01	—	100%	—	
	2. सहायक अधीक्षक	01	—	100%	—	
	3. सीनियर आडिटर	01	—	100%	—	
	4. मुख्य लिपिक	07	—	100%	—	
	5. लेखापाल	16	—	100%	—	
	6. सहायक ग्रेड-2	29	—	100%	—	
	7. सहायक ग्रेड-3	45	75%	25%	सहा. ग्रेड-तीन के 25% पद चतुर्थ श्रेणी कर्मियों द्वारा भरे जायेंगे.	
	8. शीघ्र लेखक (ग्रेड-एक)	01	—	100%	—	
	9. शीघ्र लेखक (ग्रेड-दो)	01	—	100%	—	
	10. शीघ्र लेखक (ग्रेड-तीन)	03	100%	—	—	
	11. डाटा एंट्री आपरेटर	06	100%	—	—	

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए आयु तथा शैक्षणिक अर्हता

विभाग का नाम	सेवा तथा पदों का नाम	न्यूनतम आयु सीमा (वर्षों में)	उच्चतर आयु सीमा (वर्षों में)	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं	अन्य बातें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गृह (पुलिस) विभाग	छत्तीसगढ़ नगर सेना, तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा.	—	—	—	चयन समिति
	1. सहायक ग्रेड-3	18 वर्ष	35 वर्ष	1. माध्यमिक शिक्षा मंडल छ. ग. या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्व हायर सेकेण्डरी परीक्षा 10+2 शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण.	(1) अति. प्रधान सेनानी-अध्यक्ष (2) वरिष्ठ स्टाफ आफिसर - सदस्य (3) संभागीय सेनानी - सदस्य (4) कनिष्ठ स्टाफ आफिसर - सदस्य सचिव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. छ. ग. शीघ्रलेखन तथा मुद्र-लेखन परीक्षा मंडल या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा पास हो. 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा इन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र तथा डाटा एंट्री का 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए.	(5) अनु. जा./अनु.जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि. - सदस्य
	2. शीघ्रलेखक (ग्रेड-तीन)	18 वर्ष	35 वर्ष	1. माध्यमिक शिक्षा मंडल छ. ग. या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्व हायर सेकेण्डरी परीक्षा 10+2 शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण. 2. छ. ग. शीघ्रलेखन तथा मुद्र-लेखन परीक्षा मंडल या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 100 शब्द प्रतिमिनिट की गति से उत्तीर्ण. 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र तथा डाटा एंट्री का 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए.	(1) अति. प्रधान सेनानी-अध्यक्ष (2) वरिष्ठ स्टाफ आफिसर - सदस्य (3) संभागीय सेनानी - सदस्य (4) कनिष्ठ स्टाफ आफिसर - सदस्य सचिव (5) अनु. जा./अनु. जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि. - सदस्य
	3. डाटा एंट्री आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	1. माध्यमिक शिक्षा मंडल छ. ग. या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्व हायर सेकेण्डरी परीक्षा 10+2 शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण. 2. मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्व-विद्यालय या संस्था से पी. जी. डी. सी. ए. की उपाधि.	(1) अति. प्रधान सेनानी-अध्यक्ष (2) वरिष्ठ स्टाफ आफिसर - सदस्य (3) संभागीय सेनानी सदस्य (4) कनिष्ठ स्टाफ आफिसर - सदस्य सचिव (5) अनु. जा./अनु. जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि. सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र तथा डाटा एंट्री का 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए.	

अनुसूची-चार

(नियम 14 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा तथा पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जावेगी	पदोन्नति के लिए सेवा की कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिये)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गृह (पुलिस) विभाग छत्तीसगढ़ नगर सेना, तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा.	1. सहायक अधीक्षक/ सीनियर आडिटर	अधीक्षक	5 वर्ष	1. अतिरिक्त प्रधान सेनानी-अध्यक्ष 2. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर-सदस्य 3. लेखा एवं प्रशासनिक अधिकारी-सदस्य 4. कनिष्ठ स्टाफ आफिसर-सदस्य सचिव	
	2. मुख्य लिपिक	सहायक अधीक्षक/ सीनियर आडिटर	5 वर्ष	—तदैव—	
	3. लेखापाल	मुख्य लिपिक	5 वर्ष	—तदैव—	
	4. शीघ्रलेखक (ग्रेड-दो)	शीघ्रलेखक (ग्रेड-एक)	8 वर्ष	—तदैव—	
	5. शीघ्रलेखक (ग्रेड-तीन)	शीघ्रलेखक (ग्रेड-दो)	5 वर्ष	—तदैव—	
	6. सहायक ग्रेड-2 उच्च श्रेणी लिपिक	लेखापाल	5 वर्ष	1. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर-अध्यक्ष 2. संभागीय सेनानी- सदस्य 3. लेखा एवं प्रशासनिक अधिकारी-सदस्य 4. कनिष्ठ स्टाफ आफिसर-सदस्य सचिव	
	7. सहायक ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-2	5 वर्ष	—तदैव—	
	8. चतुर्थ श्रेणी के भृत्य (हायर सेकेन्ड्री 10+2 उत्तीर्ण)	सहायक ग्रेड-3	5 वर्ष	—तदैव—	

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक एफ-13-13/गृह/दो/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 31 दिसम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

Raipur, the 31st December 2008

No. F-13-13/Home-Two/2008.—In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment of the Chhattisgarh Home Guards Class III (Ministerial) Services, namely :—

RULES

1. **Short Title and Commencement** :—(1) These rules may be called the Chhattisgarh Home Guards Class III (Ministerial) Service Recruitment and Promotion Rules, 2008.

   2. It shall come into force with effect from the date of its publication in the "Official' Gazette".

2. **Definition** :—In these rule, unless the context otherwise requires :—

   (a) "Appointing Authority" means Director General, Home Guards and Civil Defence Chhattisgarh;

   (b) "Committee" means the Departmental Promotion/Selection Committee specified in Schedule III and IV;

   (c) "Examination" means competitive examination held for recruitment under rule 11 of these rules ;

   (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

   (e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

   (f) "Schedule" means the schedule appended to these rules;

   (g) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

   (h) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

   (i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of the citizens as specified in the vide Notification No. F-8-5/Twenty Five-4-84 dated 26th December 1984, Chhattisgarh Government General Administration Department (Reservation Cell) and amended by the State Government from time to time ;

   (j) "Service" means Chhattisgarh Home Guards Class III (Ministerial) Service ;

   (k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application**.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, it shall apply to every member of the service.

4. **Constitutions of Service**.- The service shall consists of the following persons, namely;-

(i) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity the post specified in Schedule-I;

(ii) Persons recruited to the service before to the commencement of these rules; and

(iii) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules;

5. **Classification and scale of pay etc**.- The classification of the service, the scale of pay attached to them and number of posts included in the services shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule-I :

Provided that the Government may, from time to time add or reduce the number of posts included in the service either on permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment**.- (1) After commencement of these rules, recruitment to the service shall be made by the following methods, namely.-

(a) By direct recruitment through competitive examination;

(b) By promotion to the member of service as specified in Column (2) of Schedule-IV;

(c) By transfer of persons who hold in substantive capacity such post in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) and clause (c) of Sub rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in schedule II, of the number of the posts specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopt for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Appointing authority.

(4) Notwithstanding anything contained in Sub-Rule (1) if in the opinion of the Appointing Authority the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may with the prior concurrence of General Administration Department to through the administrative department adopt such methods of recruitment in the service, other those specified in the said such rule, as in the Government may be orders issued in this behalf prescribed.

(5) The Government may prescribe the standard merit basis for selection for the posts to be filled by direct recruitment. However, it shall be necessary to form a Selection Committee to this purpose by Appointing Authority.

(6) At the time of recruitment provisions of Chhattisgarh, Public Service (Schedule Caste, Schedule Tribes and Backward Classes Reservation) Act, 1994 and direction issued from time to time by General Administration Department shall apply.

7. **Appointment to the service**.- All appointments, to the service, after commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rules 6.

8. **Conditions of eligibility of direct recruitment**.- In order to eligible to appear in the examination, candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(1) Age.- (a) He must have attained the age specified in column (3) of schedule-III and not attained the age specified in Column (4) of the Schedule-III on the first day of January next, following the date of commencement of the examination.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 (five) years if a candidate belongs to Scheduled Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes.

(c). The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or had been employees of the Government of Chhattiagarh to the extent and subject to the conditions specified below :-

(1) A candidate, who in a permanent Goverment Servant should not be more than 38 years of age.

(2) A candidate holding a temporary post and applying for an other post should not be more than 38 years of age. The above relaxation will also be admissible to work charged staff and contingency paid staff and persons employed in Project Implementation Committee.

(3) A candidate, who is a retrenched Government Servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary services previously rendered by him up to a maximum limit of 7 (Seven) years eves if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years.

Explanation.- The terms "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the Constituent unit for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment in Government Service.

(d) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three year.

Explanation.- The term "Ex-Serviceman" denotes a person who belonges to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of service not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of recommendation of the concerning unit or due to normal reduction a Establishment not more than three years from the date of registration at any employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government Service -

(i) Ex-Service man released under mustering out concessions;
(ii) Ex-serviceman in rolled for the second time and discharged on, -
   (a) Completion of short term engagement;
   (b) Fulfilling the conditions of enrolment;
(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;
(iv) The Officer, (Military and Civil), discharged on completion of their contract including short service Regular commissioned officers;
(v) Officer discharged after working for six months continuously against have vacancies;

(vi) Ex-serviceman invalid out of service;

(vii) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun shot wounds etc.

(e) Two years relaxation in the upper age limit to the candidates holding green cards under family welfare programmed.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5(five) years in the case of high caste partners of the couples awarded under the Inter-Caste-Marriage incentive scheme of the Tribal, Harijan and Backward Class Welfare Department.

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of shaheed Rajeev Pandey Award, Gundadhur Honour, Maharaja Praveerchandra Bhanjdeo Honour and National youth Award holder young candidates.

(h) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years in the case of employees working in the Chattisgarh State Corporation/Boards for appointment in Government Sevice.

(i) The upper age limit shall be relaxable in the case of Voluntary Home Guards and Non-commissioned officer of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

NOTE- (1) Candidate who are admitted to the examination/selection under the age concession mentioned in sub-rule (i) (c) and (2) will not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination. They will however, continue to be eligible if they are retrenched from the service.

(2). Such age limit shall not be relaxed in any other case. For selection of the departmental candidates, the prior permission for Appointing Authority should be obtained.

(II) **Educational Qualification**,- The candidate must posses the educational qualifications prescribed for the service as shown in schedule III.

(III). **Fees**,- The candidates shall pay fees as prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification,**- Any attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the committee to disqualify him for his examination.

10. **Decision of Appointing Authority's**:- Committee's decision about the eligibility of candidates shall be final. The decision of the committee as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the committee shall be allowed to appear in the examination.

11. **Direct recruitment by selection/ competitive examination**:-(1)Direct Recruitment through Competitive Examination:

A Selection committee will be constituted by Appointing Authority, which shall consist three members.

(i) The competitive examination for the recruitment in service shall be conducted with such intervals as decided by Appointing Authority time to time with the consultation of Government.

(ii) The examination will be conducted by selection committee in accordance with the orders issued time to time by Appointing Authority.

(2) **Direct Recruitment through selection-**

(i) The Selection for the recruitment in service shall be made with such intervals as prescribed by Appointing Authority time to time.

(ii) The Selection of candidates in service shall be made by selection committee through their interviews, and

(iii) The selection committee shall be constituted time to time by Appointing Authority.

(3) The direct recruitment for the person belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the post shall be reserved under provision of Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes,) Act, 1994(No.21 year 1994).

(4) In filling the vacancies, so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the

order in which their names appear in the list referred to in Rule-12 irrespective of their relating and as compared with other condition.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes recommended by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be under sub rule (3).

(6) 30 percent posts shall be kept reserved for the female candidates in context to direct recruitment according to the proviso of Chhattisgarh Public Service (Special Provision for appointment of Women) Rules, 1997.

(7) Wherever some period of experience is determined for filling the vacancies of direct recruitment and in the opinion of the competent Authority, sufficient number of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other backward Classes candidates may not be available with the requisite experiences in such case the Competent Authority has the right to relax the conditions of experience for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other backward Classes candidates.

(8). There shall be reservation for disabled persons as per the directions issued by General Administration Department.

12. <u>List of candidates recommended by the Selection committee</u>.- (1) Board/ Selection Committee shall forward to the Appointing Authority the list of candidates arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Committee may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard are declared by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiries as may be considered necessary that the candidate is suitable and in all respect for appointment to the service.

13. **Probation;-** (1) There shall be constituted a committee consisting of the member mentioned in Schedule IV for making selection for promotion of eligible candidates.

Provided that for the purpose of constitution of the committee under this sub-rule, that provisions of the Chhattisgarh Public Service

(Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation), Act 1994 (No. 21 of 1994) shall also be adhered to.

14. **Conditions of eligibility for Promotion/transfer**:- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of promotion to all persons, who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of service on the posts, from which promotion is to be made, or on any other posts or post declared equivalent thereto whenever officiating or substantive as are specified in column (4) of Schedule IV, and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2):

Provided that the services of the released officer of the Emergency Commission and Short Service Commission after their appointment in the service, shall be counted from the date from which they have been deemed to have been appointed in the service in accordance with the General Administration Department Memo 2266/1987/1(3)/67, dated the 21-10-1967:

Provided further that any Junior person shall not be considered for selection grade/promotion in preference to the person senior to him only on the basis of his completing the prescribed year of service.

(2) The field of selection shall ordinarily be limited to seven times the number of employees to be included in the selection list in respect of the posts to be filed on the basis of the merit-cum-seniority and five

times the number of employees to be included in the selection list in respect of the posts to be filled on the basis of seniority-cum-merit;

Provided that, if the required number of suitable officers are not available in the field so determined, the field may be enlarged to the extent considered necessary by the committee by mentioning the reasons therefor in writing.

15. **Preparation of a list of suitable persons**:- (1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and as are held by the committee to be suitable for promotion/transfer in the service/transfer. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of its preparation. A reserve list consisting of twenty-five percent of the number of person included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respect with due regard to seniority.

(3) The names of employees included in list shall be arranged in order of seniority in the service or post as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of each select list:

Provided that any junior employee, who, in the opinion of the Committee is of an exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a higher place than that of employee senior to him.

Explanation:-A person, whose name is included in a selection list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any members of the subordinate service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. **Approval of the Director General on the select list** :- The list prepared in accordance with rule 15, shall then be forwarded by the committee to the Director General along with:-

(1) The records of all persons included in the list.
(2) The records of all members of the service specified in column (2) of Schedule IV who are proposed to be superseded by the recommendation made in the list.
(3) The reasons as recorded by the committee for the proposed supersession of any member of the service as specified in column (2) of Schedule IV.

17. **Select List**.- (1) The Director General shall consider the list prepared by the committee along with other documents received from the committee and unless he considers any change necessary, approve the list.

(2) If the Director considers it necessary to make any change the list received from the committee the Director General shall inform the committee of the changes proposed and after taking into account of the comments, if any, of the committee, may approve the list finally with such modification, if any as may in its opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Director General shall form the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in columns (2) of Schedule IV to the posts mentioned in column (3) of the same Schedule.

(4). The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15 but its validity shall be extended beyond a total period of 18 months from the date of preparation.

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, special review of the select list may be made or the instance of the Director General and the Committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

18. **Appointment in the Service from the select list** : -(1) Appointment of employees included in the select list on the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such employees appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before the appointment of a person whose name is included in the select list, in the service, unless during the period intervening between the inclusion of his name in the selection list and the date of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Director is such as to rende him unsuitable for the appointment in the service.

19. **Probation** : Every person recruited to the service shall be appointed on probation for a period of 2 (two) years.

20. **Interpretation** :-If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government, whose decision there on shall be final.

21. **Relaxation** : Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply, in such manner as may appear to him to be just and proper ;

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

22. **Savings** :- Nothing in these rules shall affect the reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Casts and Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

23. **Repeal and Saving** :- All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by the rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANJAY PILLAY, Secretary.

SCHEDULE – I
(See Rule – 5)

SERVICE CLASSIFICATION, PAY SCALE AND NUMBER OF POST INCLUDED IN THE SERVICE

S.No.	Name of the post included in the Service	Number of post	Classification	Pay Scale	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Superintendent	01	Class III (Clerical Services)	5500-175-9000	
2.	Assistant Superintendent	01	Class III (Clerical Services)	5000-150-8000	
3.	Senior Auditor	01	Class III (Clerical Services)	5000-150-8000	
4.	Head Clerk	07	Class III (Clerical Services)	4500-125-7000	
5.	Accountant	16	Class III (Clerical Services)	4000-100-6000	
6.	Assistant Grade II	29	Class III (Clerical Services)	4000-100-6000	
7.	Assistant Grade III	45	Class III (Clerical Services)	3050-75-3950-80-4590	
8.	Stenographer (Grade I)	01	Class III (Clerical Services)	6500-200-10500	
9.	Stenographer (Grade II)	01	Class III (Clerical Services)	5500-175-9000	
10.	Stenographer (Grade III)	03	Class III (Clerical Services)	4500-125-7000	
11	Data Entry Operator	06	Class III (Clerical Services)	3500-80-4700-100-5200	

SCHEDULE – II

(See Rule – 6)

Procedure of recruitment

Name of Department	Name of Service	Total Number of post	Percentage of the No. of Posts to be filed in			Remarks
			By Direct recruitment {see rule 6 (a)}	By promotion to the members of Service {See rule 6 (b)}	For other service persons on Temporary Transfer {See rule-6(c)}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Home (Police) Department	C.G. Home Guards Class-III (Clerical) Service					
	1. Superintendent	01	-	100%	-	
	2. Assistant Superintendent	01	-	100%	-	
	3. Senior Auditor	01	-	100%	-	
	4. Head Clerk	07	-	100%	-	
	5. Accountant	16	-	100%	-	
	6. Assistant Grade II	29	-	100%	-	
	7. Assistant Grade III	45	75%	25%	25% Posts of Assistant Grade III will be filled by Class IV Personnel	
	8. Stenographer (Grade I)	01	-	100%	-	
	9. Stenographer (Grade II)	01	-	100%	-	
	10. Stenographer (Grade III)	03	100%	-	-	
	11. Data Entry Operator	06	100%	-	-	

SCHEDULE – III
(See Rule – 8)

Age and qualification for direct recruitment

Name of the Department	Name of Service and posts	Minimum age limit (Years)	Maximum age limit (Years)	Prescribed Educational qualifications	Other Points
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Home (Police) Department	Chhattisgarh Home Guards Class-III (Clerical) Service				Selection Committee
	1. Assistant Grade-III	18	35	1. Higher Secondary Examination or High School Examination passed under 10+2 Educational system of Pre-Higher Secondary Examination from C.G. Board of Secondary Education or Institute recognized by Government. 2. Having Passed Hindi Typing examination from C.G.Board of Typing and short hand examination or from Institute recognized by Government. 3. One Year diploma certificate in data entry operator/Programming from any recognized institute and should have 10,000 depression per hours.	1. Additional Commandant General- Chairman. 2. Senior Staff Officer- Member. 3. Divisional Commandant – Member. 4. Junior Staff Officer - Member Secretary 5. Representative from SC/ST/OBC- Member

	2 Steno grapher (Grade III)	18	35	1. High School Examination passed under 10 +2 Educational system of Pre-Higher Secondary examination from C.G. Board of Secondary Education or Institute recognized by Government. 2. Having passed Hindi Shorthand Examination with 100 words per minute from C.G. Board of Typing and Shorthand Examination. 3. One year diploma Certificate in Data entry operator/Programming from any recognized institute and should have 10,000 Depression per Hour.	1. Additional Commandant General- Chairman. 2. Senior Staff Officer- Member. 3. Divisional Commandant – Member. 4. Junior Staff Officer - Member Secretary 5. Representative from SC/ST/OBC- Member
	3. Data entry (Grade-III)	18	35	1. High School Examination passed under 10 +2 Educational system of Pre-Higher Secondary examination from C.G.Board of Secondary Education or institute recognized by Government. 2. Degree in PGDCA from recognized Board, University or Institute. 3. One Year diploma Certificate in Data entry operator/Programming from recognized institute and 10,000 Depression per Hour.	1. Additional Commandant General- Chairman. 2. Senior Staff Officer- Member. 3. Divisional Commandant – Member. 4. Junior Staff Officer - Member Secretary 5. Representative from SC/ST/OBC- Member

SCHEDULE – IV
(See Rule-14)

Name of the Department	Name of the Service & post from which promotion is to be made	Name of the Service & post in which promotion is to be made	Period of service for promotion	Name of the members for Departmental Promotion Committee (Vide rule 13)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Home (Police) Department C.G. Home Guards Class-III (Clerical) Service	1. Assistant Superintendent / Senior Auditor	Superintendent	05 years	1. Addl.Commandant General - Chairman 2. Senior Staff Officer - Member 3. Accounts-cum- Administrative Officer - Member 4. Junior Staff Officer - Member Secretary.	
	(2) Head Clerk	Assistant Superintendent/ Senior Auditor	05 years	-do-	
	(3) Accountant	Head Clerk	05 years	-do-	
	(4) Stenographer (Grade -II)	Stenographer (Class -I)	08 years	-do-	
	(5) Stenographer (Grade -III)	Stenographer (Grade -II)	05 years	-do-	
	(6) Assistant Grade-II Upper Division Clerk (7) Assistant Grade-III	Accountant Assistant Grade-II	05 years	1.Senior Staff Officer - Chairman 2.Divisional Commandant - Member 3. Accounts-cum- Administrative Officer - Member 4. Junior Staff Officer - Member Secretary	
	(8) Class IV (Pone) (Passed Higher Secondary 10+2)	Assistant Grade-III	05 years		

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

क्रमांक/अ. वि. अ./भू-अर्जन/18/अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	रामपुर प. ह. नं. 17	123	0.033	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग रायपुर, जिला-रायपुर.	रामपुर एनीकट निर्माण हेतु.
		योग		**0.033**		

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2009

क्रमांक 314/क/वा./भू. अ./अविअ/प्र. क्र. 5 अ. 82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	गोढ़ी प. ह. नं. 9	326/1	0.21	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 1, रायपुर.	गोढ़ी-तोडगांव पहुंच मार्ग.
			334/1	0.07		
			335/1	0.12		
		योग	**3**	**0.40**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 4 फरवरी 2009

अ. भू.-अ. प्र. क्र./03/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	खपरी प. ह. नं. 78/22	15.08	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 फरवरी 2009

क्रमांक/185/अ. 82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	घुरूवाटोला प. ह. नं. 18	0.25	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	जलाशय नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 फरवरी 2009

क्र. अ. भू.-अ. प्र. क्र. 199/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	दुधली प. ह. नं. 78/22	2.57	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 27 फरवरी 2009

क्रमांक/1973/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	झालाटोला प. ह. नं. 42	1.16	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	झालाटोला जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी (रि.), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 फरवरी 2009

क्रमांक/1974/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	चंदेनीडीह प. ह. नं. 39	0.15	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	मासूलजोब जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 फरवरी 2009

क्रमांक/1975/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	गहिराभेड़ी प. ह. नं. 42	11.50	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	गहिराभेड़ी जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, (रि.) डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 फरवरी 2009

क्रमांक/1976/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अंत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बेलरगोंदी प. ह. नं. 50	2.36	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	गहिराभेड़ी जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी (रि.), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 फरवरी 2009

क्रमांक/1977/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	पंडरीपथरा प. ह. नं. 42	3.89	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	गहिराभेड़ी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी (रि.), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 फरवरी 2009

क्रमांक/1978/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	जंगलपुर प. ह. नं. 49	6.19	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	गहिराभेड़ी जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी (रि.), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक/135/अ. वि. अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	खोलवा प. ह. नं. 56	2.665	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स./लोहारा, जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैरॉज योजना में वितरक नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक/139/अ. वि. अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	कटोरी प. ह. नं. 56	1.977	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स./लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैरॉज योजना के अंतर्गत वितरक नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक/141/अ. वि. अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	सुरजपुरा प. ह. नं. 56	3.077	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स./लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैरॉज परि-योजना के अंतर्गत वितरक नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक/145/अ. वि. अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	सिंघनपुरी प. ह. नं. 46	2.278	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स./लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैरॉज योजना के अंतर्गत वितरक नहर.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक/149/अ. वि. अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	धनौरा प. ह. नं. 56	1.467	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स./लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैरॉज योजना के अंतर्गत वितरक नहर निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक/153/अ. वि. अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	धनौरा प. ह. नं. 56	2.099	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स./लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैरॉज योजना के अंतर्गत वितरक नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक/157/अ. वि. अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	नवागांव प. ह. नं. 45	3.274	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स./लोहारा जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	सरोधी से नवागांव पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक/169/अ. वि. अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	बानो प. ह. नं. 51	3.422	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स./लोहारा जिला-कबीरधाम.	सुतियापाट परियोजना में दायीं तट नहर की उप शाखा.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक/173/अ. वि. अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	केजादाह प. ह. नं. 51	4.755	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स./लोहारा जिला-कबीरधाम.	सुतियापाट परियोजना में दायीं तट नहर की उप शाखा.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक/182/अ. वि. अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	मोहगांव प. ह. नं. 59	0.092	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स./लोहारा जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	परियोजना के अंतर्गत खैरबना शाखा नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 19 जनवरी 2009

रा. प्र. क्र. 26-अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	बबई प. ह. नं. 57	0.501	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स./लोहारा जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	सुतियापाट परियोजना के खैरबना शाखा नहर निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 27 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 1 अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	नरसिंहपुर प. ह. नं. 06	2.808	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली, जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	नरसिंहपुर जलाशय के नहर एवं स्पील चैनल निर्माण कार्य से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 27 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 2 अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	कामठी प. ह. नं. 03	8.672	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली, जिला-बिलासपुर.	कामठी जलाशय के नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 27 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 3 अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	माठपुर प. ह. नं. 03	3.106	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली, जिला-बिलासपुर.	कामठी जलाशय के नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 27 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 4 अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	पंडरिया प. ह. नं. 09	0.105	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली, जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	क्रांति जलाशय के नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 27 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 5 अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	देवसरा प. ह. नं. 4	4.040	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली, जिला-बिलासपुर.	देवसरा जलाशय के स्पील चैनल एवं बैंक निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 12 फरवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 6 अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	घोघराखुर्द प. ह. नं. 01	25.366	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली, जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	महीडबरा जलाशय के बांधपार एवं नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 फरवरी 2009

क्रमांक 03/अ-82/2008-09/सा-1 सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	गढवट	0.048	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	अकलतरी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 फरवरी 2009

क्रमांक 04/अ-82/2008-09/सा-1 सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	बिटकुला	16.066	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिटकुला जलाशय डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2009

प्र. क्र. 14/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स./लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघनुपरी, प. ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.521 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	5/2	0.141
	5/3	0.058
	18/9	0.085
	6/2	0.049
	6/1	0.016
	4/2	0.086
	9/1	0.013
	18/2	0.028
	18/4	0.073
	9/6	0.105
	18/6	0.081
	9/4	0.089
	9/5	0.085
	18/5	0.089
	32/2	0.013
	12/5	0.113
	10	0.094
	12/2	0.012
	12/1	0.081
	18/3	0.194
	33	0.078
	18/12	0.040
	32/5	0.020
	32/4	0.024
	32/3	0.052
	28	0.202
	29	0.121
	27/1	0.049
	27/2	0.049
	26	0.061
	23	0.320
योग	31	2.521

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज में अमलीडील वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 9 फरवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-जटगा, घुमानीडांड, करगामार, पचरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-16.50 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
ग्राम-जटगा	
390/2	0.19
297/2	0.13
297/4	0.11
297/5	0.09
297/6	0.05
193/5	0.07
290/6	0.08
208/2	0.02
289	0.05
289/2	0.02
208/1	0.14
206/2	0.04
205	0.08
123/2	0.05
202	0.16
198/1	0.035
200/1	0.06
86/3	0.04
124	0.06
125	0.19
122	0.36
86/13	0.11
86/9	0.12
87	0.09
88	0.06
90	0.03
89	0.09
91	0.03
93	0.12
188/1	0.14
192	0.08
193/1	0.28
193/2	0.03
193/7	0.01
196/2	0.11
196/1	0.20
197	0.09
200/3	0.09
126/2	0.09
126/1	0.12
127/1	0.07
928/2	0.05
126/1	0.05

(1)	(2)
120/1	0.11
111/1 च	0.11
111/1 ग	0.05
111/1 ग	0.23
119/2	0.18
111/1 थ	0.20
92	0.12
111/1 ठ	0.07
111/1 घ	0.27
योग	5.74
ग्राम-घुमानीडांड़	
69	0.28
68	0.56
44	
70	0.24
71	0.80
72/1	0.19
74/2	0.08
72/3	0.19
73/2	0.03
131	0.24
81	0.41
64, 65, 66	0.50
83	0.22
75/2	0.18
85	0.50
123	0.10
योग	4.58
ग्राम-करगामार	
28/1	0.31
61	0.06
65	0.46
62	0.48
66	0.02
28/2	0.21
67	0.01
70	0.36
68	0.02
45/2	0.04
71	0.02

(1)	(2)
32/1	0.03
35/2	0.463
29/1	0.09
73	0.04
7	0.13
10/1 घ	0.35
27	0.23
योग	3.02

ग्राम-पचरा

13/1	0.21
13/2	0.24
138	0.15
134	0.06
108/1	0.72
126/1	0.11
144/1	0.11
139	0.13
131	0.04
142	0.10
136	0.20
135	0.08
130	0.15
129	0.03
128	0.06
127	0.23
121	0.15
125, 126/2	0.30
123	0.17
योग	3.24
महायोग	16.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र के लिये.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 3 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-कुदमुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.021 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
462/2	0.073
463	0.101
459/2, 460	0.120
447	0.024
448/1	0.032
448/2	0.026
445	0.129
431/3	0.032
432	0.020
433	0.012
434	0.040
435	0.040
436	0.049
439	0.032
444	0.024
687/1	0.132
687/2	0.132
681/3, 682/2, 683, 684	0.020
68[illegible]/1	0.016
[illegible]	0.061
692	0.020
693	0.020
679/1, 680/2	0.045

(1)	(2)
679/1, 680/1	0.049
727/1	0.079
727/2	0.065
727/3	0.098
727/4	0.101
728/1	0.061
729/1	0.061
739/2	0.016
739/3	0.032
740/1	0.113
740/2	0.049
840, 842	0.113
848	0.101
866/2	0.101
886/3	0.081
867/1	0.016
867/2, 868	0.101
869/1	0.032
869/2	0.016
869/3	0.008
870/1	0.049
870/2	0.008
882	0.101
884/2	0.061
885	0.081
1126	0.008
1127	0.089
1128	0.030
1129	0.040
884/2	0.061
योग	3.021

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा हाटी, धरमजयगढ़ मार्ग प्रयोजन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 5 मार्च 2009

क्रमांक/431/अ.भू-अ.प्र./02/अ-82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-ढौर, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1502/1	0.07
1502/2	0.08
1502/3	0.07
1504	0.44
1507	0.61
1508	0.18
1509/1	0.41
1509/2	0.11
1520	0.36
1529	0.11
1537	0.08
1521/2	0.07
1528/4	0.06
1530	0.18
1532	0.16
1539	0.35
1938	0.06
1946	0.19
1939	0.07
1943	0.16
1945	0.04

(1)	(2)
1951	0.02
1952	0.67
1953	0.81
योग	5.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करंजा भिलाई जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 मार्च 2009

क्रमांक/434/अ.भू-अ.प्र./06/अ-82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-अछोली, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
608	0.38
609	0.22
610	0.10
611	0.05
612	0.10
613	0.03
600	0.80
602	0.16
604	0.08
605	0.15
606	0.29
607/1	0.20
607/2	0.20
614	0.37
615	0.39
616/1	0.37
616/2	0.38
617	0.32
618	0.39
619	0.70
627	0.41
योग	6.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अकोली जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 मार्च 2009

क्रमांक/437/अ.भू-अ.प्र./07/अ-82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-ठेलका, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
122	0.01

(1)	(2)
126	0.01
190	0.08
191	0.08
242	0.05
245	0.01
127	0.01
188	0.03
139	0.30
177	0.17
181	0.04
187	0.05
203/2	0.23
237	0.04
238	0.02
240	0.02
241/2	0.02
287	0.10
294/1	0.02
294/2	0.01
295	0.03
296	0.03
299	0.05
300	0.07
301	0.05
304	0.12
307	0.05
308	0.05
309	0.04
342	0.04
343	0.02
344/1	0.07
427	0.04
429	0.05
426/1	0.03
426/2	0.05
योग	2.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ठेलका डायवर्सन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-एरमसाही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
126	0.25
योग	0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिल्हा

(ग) नगर/ग्राम-परसदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
53	0.50
योग	0.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिल्हा

(ग) नगर/ग्राम-मंगला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
710/1	0.80
योग	0.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिल्हा

(ग) नगर/ग्राम-दुरूगडीह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
157/2	0.20
योग	0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-पासीद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
989	0.37
योग	0.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-पिरैया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
218	0.28
योग	0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 36/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-डोकलाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.08 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
146/2	0.08
योग	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 37/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-बिल्हा
 (ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्रीडीह
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.56 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	73/1	0.56
योग		0.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 38/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-बिल्हा
 (ग) नगर/ग्राम-मुरकुटा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	21/5	0.20
योग		0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 39/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-बिल्हा
 (ग) नगर/ग्राम-अमेरी अकबरी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.64 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	111	0.64
योग		0.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 40/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-बिल्हा
(ग) नगर/ग्राम-अमेरीकापा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.24 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	36/1	0.24
योग		0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 41/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-बिल्हा
(ग) नगर/ग्राम-अटर्रा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	353/2	0.40
योग		0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 43/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-बिल्हा
(ग) नगर/ग्राम-सम्बलपुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	271/1	0.08
योग		0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 46/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-बिल्हा
(ग) नगर/ग्राम-पौंसरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.24 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
140/2	0.24
योग	0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 48/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-बिल्हा
(ग) नगर/ग्राम-कनेरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
402	0.22
योग	0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 49/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-बिल्हा
(ग) नगर/ग्राम-पेण्डरवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
394/2	0.08
योग	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 51/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-बिल्हा
 (ग) नगर/ग्राम-उड़नताल
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	206	0.25
योग		0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 52/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-बिल्हा
 (ग) नगर/ग्राम-कोटिया
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	520	0.20
योग		0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 53/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-बिल्हा
 (ग) नगर/ग्राम-हिर्री
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	310	0.28
योग		0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 54/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-बोहारडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	307	0.08
योग		0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 57/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-उड़गन
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1099	0.28
योग		0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 फरवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 66/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-जयराम नगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.07 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
299/2	1.50
300/1	0.19
300/2	0.66
300/4	0.40
300/5	0.25
302	1.00
303/1	1.22
303/2	1.21
304	0.89
305/1	0.60

(1)	(2)
305/2	0.96
305/3	0.50
306	2.69
योग	12.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - देवगांव व्यपवर्तन डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 फरवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 67/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-खुड्डूभाठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-26.33 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
41	0.70
42	0.50
43	1.76
44	0.96
45/2	0.90
45/1	1.20
46	0.89
47	0.80
48	1.33
48	0.38
52/1	1.70
52/3	2.00
52/3	2.00
53/1, 53/2	1.91
70/3	0.63
77	0.09
70/1	0.05
81/2	0.04
83/1	0.07
78/2	0.07
154/1	0.20
154/2	0.20
157/1	0.40
157/2	0.30
160	1.23
161/1	0.58
161/2	0.51
161/3	0.50
161/4	0.46
161/5	1.30
162	1.00
163	0.54
164/1	0.40
164/2	0.40
योग	26.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - देवगांव व्यपवर्तन डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत शाखा), रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2009

क्रमांक/433/पंचा. निर्वाचन/विस्थापित/2009.—मैं, सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर, रायपुर, छ. ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 126 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर अनुसूची के कालम-3 में वर्णित ग्राम पंचायत व अनुसूची के कालम-4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को नगर पंचायत मानाकैम्प में शामिल किये जाने के फलस्वरूप एवं छ. ग. राजपत्र क्रमांक एफ-1-21/2008/18 दिनांक 12-09-08 में प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में कोई आपत्ति/दावा/सुझाव प्राप्त न होने के कारण विस्थापित करता हूं.

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विस्थापित किये जाने वाले गांव का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायपुर	धरसींवा	मानाकैम्प	मानाकैम्प	9600	115	नगर पंचायत गठन हेतु

No. 433/Pan cha/2008-09.— I, Subodh Kumar Singh, Collector, Raipur under the power conferred under section 126 of Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) do hereby rehabilitated the Gram Panchayat mentioned in column 3 and also the village/villages mentioned in column 4 of the schedule and have included them in the nagar panchayat Mana-camp, this has been done favour of notification published in Chhattisgarh Gazette No. F-1-21/2008/18 dt. 12-09-08 as no objection, claims or suggestion has been received against the above said primary notification.

District	Name of Block	Name of Gram Panchayat	Name of villages being rehabilitated	Population	Patwari Halka No.	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Raipur	Dharsiwa	Mana-camp	Mana-camp	9600	115	included in Nagar Panchayat

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2009

क्रमांक/434/पंचा. निर्वाचन/विस्थापित/2009.—मैं, सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर, रायपुर, छ. ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 126 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर अनुसूची के कालम-3 में वर्णित ग्राम पंचायत व अनुसूची के कालम-4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को नगर पंचायत कुंरा में शामिल किये जाने के फलस्वरूप एवं छ. ग. राजपत्र क्रमांक एफ-1-20/2008/18 दिनांक 0[illegible]-09-08 में प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में कोई आपत्ति/दावा/सुझाव प्राप्त न होने के कारण विस्थापित करता हूं.

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विस्थापित किये जाने वाले गांव का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायपुर	धरसींवा	कुंरा	कुंरा	6732	89	नगर पंचायत गठन हेतु

No. 434/Pan cha/2008-09.—I, Subodh Kumar Singh, Collector, Raipur under the power conferred under section 126 of Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) do hereby rehabilitated the Gram Panchayat mentioned in column 3 and also the village/villages mentioned in column 4 of the schedule and have included them in the nagar panchayat Kura, this has been done favour of notification published in Chhattisgarh Gazette No. F-1-20/2008/18 dt. 03-09-08 as no objection, claims or suggestion has been received against the above said primary notification.

District	Name of Block	Name of Gram Panchayat	Name of villages being rehabilitated	Population	Patwari Halka No.	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Raipur	Dharsiwa	Kura	Kura	6732	89	included in Nagar Panchayat

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2009

क्रमांक/435/पंचा. निर्वाचन/विस्थापित/2009.—मैं, सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर, रायपुर, छ. ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 126 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर अनुसूची के कालम-3 में वर्णित ग्राम पंचायत व अनुसूची के कालम-4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को नगर पंचायत टुण्ड्रा में शामिल किये जाने के फलस्वरूप एवं छ. ग. राजपत्र क्रमांक एफ-1-14/2008/18 दिनांक 03-09-08 में प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में कोई आपत्ति/दावा/सुझाव प्राप्त न होने के कारण विस्थापित करता हूं.

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विस्थापित किये जाने वाले गांव का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायपुर	कसडोल	टुण्ड्रा	टुण्ड्रा खपरीडीह	6761 587 7348	19	नगर पंचायत गठन हेतु

No. 435/Pan cha/2008-09.—I, Subodh Kumar Singh, Collector, Raipur under the power conferred under section 126 of Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) do hereby rehabilitated the Gram Panchayat mentioned in column 3 and also the village/villages mentioned in column 4 of the schedule and have included them in the nagar panchayat Tundra, this has been done favour of notification published in Chhattisgarh Gazette No. F-1-14/2008/18 dt. 03-09-08 as no objection, claims or suggestion has been received against the above said primary notification.

District	Name of Block	Name of Gram Panchayat	Name of villages being rehabilitated	Population	Patwari Halka No.	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Raipur	Kasdol	Tundra	Tundra Khapridih	6761 587 7348	19	included in Nagar Panchayat

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2009

क्रमांक/436/पंचा. निर्वाचन/विस्थापित/2009.—मैं, सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर, रायपुर, छ. ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 126 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर अनुसूची के कालम-3 में वर्णित ग्राम पंचायत व अनुसूची के कालम-4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को नगर पंचायत फिंगेश्वर में शामिल किये जाने के फलस्वरूप एवं छ. ग. राजपत्र क्रमांक एफ-1-3/2008/18 दिनांक 03-09-08 में प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में कोई आपत्ति/दावा/सुझाव प्राप्त न होने के कारण विस्थापित करता हूं.

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विस्थापित किये जाने वाले गांव का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायपुर	फिंगेश्वर	फिंगेश्वर	फिंगेश्वर गदहीडीह	7526 537 8063	05	नगर पंचायत गठन हेतु

No. 436/Pan cha/2008-09.—I, Subodh Kumar Singh, Collector, Raipur under the power conferred under section 126 of Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) do hereby rehabilitated the Gram Panchayat mentioned in column 3 and also the village/villages mentioned in column 4 of the schedule and have included them in the nagar panchayat Fhingeshwar, this has been done favour of notification published in Chhattisgarh Gazette No. F-1-3/2008/18 dt. 03-09-08 as no objection, claims or suggestion has been received against the above said primary notification.

District	Name of Block	Name of Gram Panchayat	Name of villages being rehabilitated	Population	Patwari Halka No.	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Raipur	Fhingeshwar	Fhingeshwar	Fhingeshwar Gadhidih	7526 537 8063	05	included in Nagar Panchayat

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2009

क्रमांक/437/पंचा. निर्वाचन/विस्थापित/2009.—मैं, सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर, रायपुर, छ. ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 126 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर अनुसूची के कालम-3 में वर्णित ग्राम पंचायत व अनुसूची के कालम-4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को नगर पंचायत छुरा में शामिल किये जाने के फलस्वरूप एवं छ. ग. राजपत्र क्रमांक एफ-1-17/2008/18 दिनांक 03-09-08 में प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में कोई आपत्ति/दावा/सुझाव प्राप्त न होने के कारण विस्थापित करता हूं.

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विस्थापित किये जाने वाले गांव का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायपुर	छुरा	छुरा	छुरा गादीकोट	4869 विरान	01	नगर पंचायत गठन हेतु

No. 437/Pan cha/2008-09.—I, Subodh Kumar Singh, Collector, Raipur under the power conferred under section 126 of Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) do hereby rehabilitated the Gram Panchayat mentioned in column 3 and also the village/villages mentioned in column 4 of the schedule and have included them in the nagar panchayat Chura, this has been done favour of notification published in Chhattisgarh Gazette No. F-1-17/2008/18 dt. 03-09-08 as no objection, claims or suggestion has been received against the above said primary notification.

District (1)	Name of Block (2)	Name of Gram Panchayat (3)	Name of villages being rehabilitated (4)	Population (5)	Patwari Halka No. (6)	Remark (7)
Raipur	Chura	Chura	Chura Ghadicot	4869 Viran	01	included in Nagar Panchayat

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2009

क्रमांक/438/पंचा. निर्वाचन/विस्थापित/2009.—मैं, सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर, रायपुर, छ. ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 126 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर अनुसूची के कालम-3 में वर्णित ग्राम पंचायत व अनुसूची के कालम-4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को नगर पंचायत गरियाबंद में शामिल किये जाने के फलस्वरूप एवं छ. ग. राजपत्र क्रमांक एफ-1-67/2003/18 दिनांक 03-09-08 में प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में कोई आपत्ति/दावा/सुझाव प्राप्त न होने के कारण विस्थापित करता हूं.

जिला (1)	खण्ड का नाम (2)	ग्राम पंचायत का नाम (3)	विस्थापित किये जाने वाले गांव का नाम (4)	जनसंख्या (5)	पटवारी हल्का नंबर (6)	विशेष (7)
रायपुर	गरियाबंद	गरियाबंद	गरियाबंद	9762	25 (अ)	नगर पंचायत गठन हेतु

No. 438/Pan cha/2008-09.—I, Subodh Kumar Singh, Collector, Raipur under the power conferred under section 126 of Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) do hereby rehabilitated the Gram Panchayat mentioned in column 3 and also the village/villages mentioned in column 4 of the schedule and have included them in the nagar panchayat Gariyaband, this has been done favour of notification published in Chhattisgarh Gazette No. F-1-67/2003/18 dt. 03-09-08 as no objection, claims or suggestion has been received against the above said primary notification.

District (1)	Name of Block (2)	Name of Gram Panchayat (3)	Name of villages being rehabilitated (4)	Population (5)	Patwari Halka No. (6)	Remark (7)
Raipur	Gariyaband	Gariyaband	Gariyaband	9762	25 (A)	included in Nagar Panchayat

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2009

क्रमांक/439/पंचा. निर्वाचन/विस्थापित/2009.—मैं, सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर, रायपुर, छ. ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 126 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर अनुसूची के कालम-3 में वर्णित ग्राम पंचायत व अनुसूची के कालम-4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को नगर पंचायत बिलाईगढ़ में शामिल किये जाने के फलस्वरूप एवं छ. ग. राजपत्र क्रमांक एफ-1-12/2008/18 दिनांक 03-09-08 में प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में कोई आपत्ति/दावा/सुझाव प्राप्त न होने के कारण विस्थापित करता हूं.

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विस्थापित किये जाने वाले गांव का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नंबर	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायपुर	बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	4896	06	नगर पंचायत गठन हेतु

No. 439/Pan cha/2008-09.—I, Subodh Kumar Singh, Collector, Raipur under the power conferred under section 126 of Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) do hereby rehabilitated the Gram Panchayat mentioned in column 3 and also the village/villages mentioned in column 4 of the schedule and have included them in the nagar panchayat Bilaigarh, this has been done favour of notification published in Chhattisgarh Gazette No. F-1-12/2008/18 dt. 03-09-08 as no objection, claims or suggestion has been received against the above said primary notification.

District	Name of Block	Name of Gram Panchayat	Name of villages being rehabilitated	Population	Patwari Halka No.	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Raipur	Bilaigarh	Bilaigarh	Bilaigarh	4896	06	included in Nagar Panchayat

सुबोध कुमार सिंह,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), धमतरी

धमतरी, दिनांक 16 फरवरी 2009

क्रमांक 2034 क/स्था. निर्वा./न. नि. निर्वा./2009.—श्रीमति अंजु पवन लिखी पार्षद रिसाईपारा पश्चिम वार्ड क्रमांक 16 नगरपालिका परिषद् धमतरी के द्वारा शिक्षा कर्मी वर्ग-1 के पद पर चयनित होने के फलस्वरूप पार्षद पद से त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है.

नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 की उपधारा 2 के अंतर्गत श्रीमति अंजु पवन लिखी पार्षद रिसाई पारा पश्चिम वार्ड क्रमांक 16 नगरपालिका परिषद् धमतरी का त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है.

आर. पी. एस. त्यागी,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 27th February 2009

No. 80/Confdl./2009/II-2-1/2009.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted at the place in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office; and

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division as mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
3.	Shri M. P. Singhal, District & Sessions Judge.	Raigarh	Kabirdham (Kawardha)	Kabirdham (Kawardha)	District & Sessions Judge.
4.	Shri R. C. S. Samant, District & Sessions Judge.	Kabirdham (Kawardha)	Raigarh	Raigarh	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 27th February 2009

No. 82/Confdl./2009/II-2-1/2009.—The following candidates as mentioned in column No. (2), appointed on probation as District Judge (Entry Level) in the Cadre of Chhattisgarh Higher Judicial Service by the State Government, are posted at the place in the Capacity as shown against their names in column No. (4) of the table below with a direction to join their place of posting positively within 15 days from the date of this Order.

The following candidates are also appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division as mentioned in the Column No. (3) from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	Sessions Division (3)	Posted as (4)
1.	Shri Sudhir Kumar S/o Shri Vijay Pal Singh village Khodsma, Dr. Chausana, P. S. Jhijhana, Dist. Mujaffarnagar (U. P.)-247778.	Bilaspur	III Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.
2.	Shri Balram Prasad Verma S/o Shri Perdeshi Ram Verma, Kachari Para, Ward No.-2, Bemetara, Dist. Durg (C. G.).	Bilaspur	IV Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.
3.	Shri Hemant Saraf S/o Shri Laxmi Narayan Saraf, Palace Road, Koshtapara, Raigarh, Dist. Raigarh (C. G.).	Bilaspur	V Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.

Bilaspur, the 27th February 2009

No. 89/Confdl./2009/II-2-1/2009.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), is hereby posted on the post of Special Judge, as mentioned in Column No. (6) of the table below, of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the Schedule Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 from the date he assumes charge of his office and ;

The following Member of Higher Judicial Service is also appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Arvind Singh Chandel, II Additional District & Sessions Judge.	Durg	Durg	Durg	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.

Bilaspur, the 27th February 2009

No. 91/Confdl./2009/II-2-1/2009.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office and ;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of thier office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Ranoo Diwekar, Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.	Durg	Raigarh	Raigarh	I Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Shiv Mangal Pandey Registrar, Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission.	Raipur	Durg	Durg	II Additional District & Sessions Judge.

By order of the Hon'ble High Court,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

निर्वाचन आयोग भारत की अधिसूचनाएं

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2009

क्र. 25/चार/वि. स. चु./2008/378.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली का निदेश संख्या 3/4/2008/न्या. अनु.-II, दिनांक 06 फरवरी, 2009 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

गौरव द्विवेदी,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2009

निदेश

सं. 3/4/2008/न्या. अनु.-II/एस. डी. आर.—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 10 के उपनियम (1) तथा (3) तथा दिनांक 17 जुलाई, 1987 के इसके निदेश एस. ओ. 2/87 के अधिक्रमण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन में, फार्म 7क में तैयार की जाने वाली निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची उक्त सारणी के स्तंभ (3) में दिए गए निर्वाचन क्षेत्र की भाषा में तैयार की जाए और जहां सूची एक से अधिक भाषाओं में तैयार की जाती है, वहां अभ्यर्थियों के नाम उक्त स्तंभ (3) में पहले विनिर्दिष्ट की गई भाषा की लिपि के अनुसार वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए.

निर्वाचन आयोग को अग्रेषित की जाने वाली इस प्रकार की कोई भी सूची, यदि अंग्रेजी में नहीं है तो, इसके साथ अंग्रेजी अनुवाद साथ में भेजा जाए.

सारणी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (1)	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (2)	भाषा/भाषाएं (3)
1. आंध्र प्रदेश	(क) 1-आदिलाबाद (अ. ज. जा.) 5-जहीराबाद	तेलगु और मराठी
	(ख) 4-निजामाबाद 7-मल्काजगिरि 8-सिकन्दराबाद 9-हैदराबाद	तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू
	(ग) अन्य सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	तेलुगु
2. अरूणाचल प्रदेश	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	अंग्रेजी
3. असम	(क) 1-करीमगंज (अ. जा.) 2-सिल्चर	बंगला
	(ख) 3-स्वायत्तशासी जिले (अ. ज. जा.)	असमिया और अंग्रेजी
	(ग) अन्य सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	असमिया
4. बिहार	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिन्दी
5. छत्तीसगढ़	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिन्दी
6. गोवा	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	देवनागरी लिपि में कोंकणी, मराठी और अंग्रेजी.
7. गुजरात	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	गुजराती

(1)		(2)	(3)
8. हरियाणा		सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिन्दी
9. हिमाचल प्रदेश		सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिन्दी
10. जम्मू व कश्मीर	(क)	5-ऊधमपुर 6-जम्मू	उर्दू और हिन्दी
	(ख)	अन्य सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	उर्दू
11. झारखंड		सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिन्दी
12. कर्नाटक	(क)	1-चिक्कोड़ी 2-बेलगाम 7-बीदर 12-उत्तर कनाडा	कन्नड़ और मराठी
	(ख)	23-बंगलौर (ग्रामीण) 24-बंगलौर उत्तर 25-बंगलौर केन्द्रीय 26-बंगलौर दक्षिण 28-कोलार (अ. जा.)	कन्नड़ तथा अंग्रेजी
	(ग)	अन्य सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	कन्नड़
13. केरल	(क)	1-कासारागोड	मलयालम और कन्नड़
	(ख)	14-इदुक्की	मलयालम और तमिल
	(ग)	अन्य सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	मलयालम
14. मध्यप्रदेश		19-भोपाल	हिन्दी और उर्दू
	(ख)	अन्य सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिन्दी
15. महाराष्ट्र	(क)	10-नागपुर 25-ठाणे 26-मुम्बई उत्तर 27-मुम्बई उत्तर-पश्चिम 28-मुम्बई उत्तर-पूर्व 29-मुम्बई उत्तर-केन्द्रीय 30-मुम्बई दक्षिण-केन्द्रीय 31-मुम्बई दक्षिण 34-पुणे	मराठी और अंग्रेजी
	(ख)	अन्य सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	मराठी

(1)	(2)	(3)
16. मणिपुर	(क) 1-आन्तरिक मणिपुर	मणिपुरी
	(ख) 2-बाह्य मणिपुर (अ. ज. जा.)	मणिपुरी और अंग्रेजी
17. मेघालय	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	अंग्रेजी
18. मिजोरम	सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	अंग्रेजी
19. नागालैण्ड	सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	अंग्रेजी
20. उड़ीसा	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	उड़ीया
21. पंजाब	(क) 1-गुरूदासपुर 2-अमृतसर 4-जालंधर 6-होशियारपुर 8-पटियाला 9-लुधियाना 13-फिरोजपुर	पंजाबी और हिन्दी
	(ख) अन्य सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	पंजाबी
22. राजस्थान	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिन्दी
23. सिक्किम	सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	अंग्रेजी
24. तमिलनाडु	(क) 2-चेन्नई उत्तर 3-चेन्नई दक्षिण 4-चेन्नई केन्द्रीय	तमिल और अंग्रेजी
	(ख) 7-आराक्कोनम	तमिल और तेलुगु
	(ग) 9-कृष्णागिरी	तमिल, तेलगु तथा कन्नड़
	(घ) 19-द नीलगिरीज (अ. जा.) 39-कन्याकुमारी	तमिल और मलयालम
	(ङ) अन्य सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	तमिल
25. त्रिपुरा	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	बंगला
26. उत्तर प्रदेश	(क) 1-सहारनपुर 4-बिजनौर 5-नगीना (अ. जा.) 6-मुरादाबाद 7-रामपुर	हिन्दी और उर्दू

(1)		(2)	(3)
		8–सम्भल 9–अमरोहा 10–मेरठ	हिन्दी और उर्दू
	(ख)	अन्य सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिन्दी
27. उत्तराखण्ड		सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिन्दी
28. पश्चिम बंगाल	(क)	4–दार्जिलिंग	बंगला और नेपाली
	(ख)	5–रायगंज	बंगला और हिन्दी
	(ग)	17–बारासात 21–डायमण्ड हार्बर 34–मेदिनीपुर	बंगला और अंग्रेजी
	(घ)	23–कोलकाता दक्षिण 24–कोलकाता उत्तर	अंग्रेजी
	(ङ)	अन्य सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	बंगला
29. अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह		सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिन्दी और अंग्रेजी
30. चण्डीगढ़		सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिन्दी और पंजाबी
31. दादरा एवं नागर हवेली		सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	गुजराती, मराठी और अंग्रेजी
32. दमण और दीव		सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	गुजराती
33. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र		सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	हिन्दी और अंग्रेजी
34. लक्षद्वीप		सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	मलयालम
35. पुडुचेरी		सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	तमिल, तेलुगु और मलयालम

आदेश से,

हस्ता./–
(के. एफ. विल्फ्रेड)
सचिव.